न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी :– शैलेश खैरवा (आर०ए०एस०), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

दावा संख्या :– 243/2021

उनवान

शान्ति देवी वगै० बनाम राजकुमार वगै०

1. शांति देवी उम्र 75 वर्ष पत्नी स्व. पुष्कर लाल जाति महाजन निवासी गांव बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं हाल आबाद रिवर व्यू अपार्टमेंट, 18 मुखराम कानोडिया रोड BIA-IInd FLOOR हावड़ा 711101।
2. विनय कुमार उम्र 40 वर्ष पुत्र स्व. पुष्कर लाल जाति महाजन निवासी गांव बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं हाल आबाद रिवर व्यू अपार्टमेंट, 18 मुखराम कानोडिया रोड BIA-IInd FLOOR हावड़ा 711101।
3. कंचन देवी उम्र 70 वर्ष पत्नी स्व. बाबूलाल जाति महाजन निवासी गांव बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं हाल आबाद रिवर व्यू अपार्टमेंट, 18 मुखराम कानोडिया रोड BIA-IInd FLOOR हावड़ा 711101।
4. दीपक उम्र 45 वर्ष पुत्र स्व. बाबूलाल जाति महाजन निवासी गांव बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं हाल आबाद रिवर व्यू अपार्टमेंट, 18 मुखराम कानोडिया रोड BIA-IInd FLOOR हावड़ा 711101।
5. दिवेश कुमार बगड़िया उम्र 43 वर्ष पुत्र स्व. बाबूलाल जाति महाजन निवासी गांव बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं हाल आबाद रिवर व्यू अपार्टमेंट, 18 मुखराम कानोडिया रोड BIA-IInd FLOOR हावड़ा 711101।

–वादीगण

बनाम

1. राजकुमार बगड़िया उम्र 70 वर्ष पुत्र गोगराज जाति महाजन निवासी गांव बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं हाल आबाद बगड़िया ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड 16 नेताजी सुभाष रोड IV FLOOR कोलकाता 700001।
2. शिव शंकर उम्र 60 वर्ष पुत्र सीताराम जाति महाजन निवासी गांव बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं हाल आवाद बगड़िया ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड 16 नेताजी सुभाष रोड IV FLOOR कोलकाता 700001।
3. राजेश उम्र 55 वर्ष पुत्र सीताराम जाति महाजन निवासी गांव बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं हाल आवाद बगड़िया ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड 16 नेताजी सुभाष रोड़ IV FLOOR कोलकाता 700001।
4. चन्दादेवी उम्र 70 वर्ष पत्नी स्व. महेश कुमार जाति महाजन निवासी गांव बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं हाल आबाद बगड़िया ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड 16 नेताजी सुभाष रोड़ IV FLOOR कोलकाता 700001।

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

5. अरुण कुमार उम्र 45 वर्ष पुत्र महेश कुमार जाति महाजन निवासी गांव बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं हाल आबाद बगड़िया ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड 16 नेताजी सुभाष रोड IV FLOOR कोलकाता 700001।

6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनूं (राज.)

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री राजकुमार सैनी :– वादीगण की ओर से।

2. श्री ओमप्रकाश सैनी – प्रतिवादीगण की ओर से।

दिनांक :– 24.05.2022

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि कस्बा बगड़ में भूमि गत ख.नं. 1012 मी. रकबा 13 बीघा 3 विश्वा पुख्ता जिसमें हाल ख.नं. 868 रकबा 1.56 हैक्टर, ख.नं. 869 रकबा 0.89 हैक्टर, ख.नं. 870 रकबा 0.76 हैक्टर तथा ख.नं. 868/2075 रकबा 0.12 हैक्टर व गत ख.नं. 1095 रकबा 19 बीघा पुख्ता जिसमें हाल ख.नं. 943 रकबा 4.81 हैक्टर भूमि कस्बा बगड़ में अवस्थित रही है। उक्त गत ख.नं. 1012 मी. रकबा 13 बीघा 3 विश्वा पुख्ता में से 9 बीघा 3 विश्वा की खातेदारी हनुमान बक्स पुत्र रामचन्द्र के नाम से ही है। शेष 4 बीघा भूमि किसी अन्य व्यक्ति के नाम रही है। जिसका कोई विवाद नहीं है। हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि गत ख.नं. 1012 भूमि के में नये ख.नं. 868 रकबा 1.56 हैक्टर, ख.नं. 870 रकबा 0.76 हैक्टर तथा ख.नं. 943 रकबा 4.81 हैक्टर को विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया। हनुमान बक्स पुत्र रामचन्द्र की मृत्यु हो जाने के बाद उक्त भूमि को हनुमान बक्स के वारिस गोगराज ने काश्त किया है तथा गंगाधर का विवादित भूमि पर कोई कब्जा, काश्त नहीं रहा है। गंगाधर ने विवादित भूमि को कभी भी काश्त नहीं किया है। विवादित भूमि को गोगराज ने ही काश्त किया है। गोगराज व गणपतराम दोनों ने विवादित भूमि को संयुक्त रूप से शामलाती ही काश्त किया है। जिसमें दोनों के परिवार वालों की रजामंदी व सहमति भी थी। विवादित भूमि गत ख.नं. 1095 रकबा 19 बीघा पुख्ता भूमि संवत् 1999 की मिसल हकियत गांव बगड़ गणपत पुत्र रामचन्द्र जाति महाजन के नाम दर्ज रिकार्ड रहीं है तथा उक्त भूमि ख.नं. 1095 रकबा 19 बीघा पुख्ता जमाबंदी संवत् 2012–2015 में जब राज. काश्तकारी अधि. लागू हुआ तब भी उक्त भूमि गणपत पुत्र रामचन्द्र जाति महाजन खातेदार दर्ज रही है। जिसमें गोगराज पुत्र हनुमान बक्स का नाम 'उपकृषक' रहा है तथा एक अन्य भूमि ख.नं. 1012 रकबा 13 बीघा 3 विश्वा में से संवत 2012–2015 की जमाबंदी में गंगाधर पुत्र हनुमान बक्स के नाम से 9 बीघा 3 विश्वा दर्ज रही है तथा जमाबंदी संवत् 2016 में भी भूमि ख.नं. गत 1012 रकबा 13 बीघा 3 विश्वा पुख्ता में से 9 बीघा 3 विश्वा पुख्ता भूमि का काश्तकार गोगराज बक्स पुत्र हनुमान बक्स दर्ज रहा है। विवादित भूमि ख.नं. 1012 रकबा 9 बीघा 3 विश्वा पुख्ता जिसमें हाल ख.नं. 868 रकबा 1.56 हैक्टर, ख.नं. 870 रकबा 0.76 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.32 हैक्टर कस्बा बगड़ के वादीगण काश्तकार है। जिन्हें खातेदार घोषित करवाने के लिए यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसका कोई भी विरोध भी नहीं है। प्रतिवादीगण को यह पता है कि उक्त भूमि वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त भूमि ख.नं. 868 रकबा 1.56 हैक्टर व ख.नं. 870 रकबा 0.76 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.32 हैक्टर को वादीगण खातेदार, काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि (क) वादपत्र मय डुप्लीकेट प्रति में पेश कर निवेदन है कि विवादित भूमि ख.नं. 1012 मी.

बीघा 3 विश्वा पुख्ता जिसमें हाल ख.नं. 868 रकबा 1.56 हैक्टर व ख.नं. 870 रकबा क्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.32 हैक्टर भूमि वादीगण की पैतृक व कब्जा काश्त की ोने के कारण खातेदार घोषित करने का आदेश प्रदान करे। (ख) भूमि ख.नं. 868 व 870 वेभाजन कर अलग से खाता खतौनी व लगान तय कर विधिवत खाता विभाजन करने का .श प्रदान करें।

विवेचन

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस वास्ते जबाव देही तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के द्वारा जबाव दावा पेश कर वाद पत्र की धारा को स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति एंव एतराज नहीं होना अपने जबाव में वर्णित किया है। वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप स्वंय का चीफ शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाकर वाद के समर्थन में दस्तावेजात पेश किये गये, जिनका विवरण निम्नानुसार है :– सत्य प्रतिलिपि नामान्तकरण संख्या 665 दिनांक 28.05.1970, सत्य प्रतिलिपि नामान्तकरण संख्या 639 दिनांक 18.10.1969, सत्य प्रतिलिपि गिरदावरी सम्वत 2033–36 ग्राम बगड़, सत्य प्रतिलिपि जमाबंदी चालू सम्वत 2074–77 ग्राम बगड़, सत्य प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 122 मी0 1095, सत्य प्रतिलिपि मिसल हकीयत सम्वत 1999 खसरा नम्बर 102 पुराना, सत्य प्रतिलिपि मिसल हकीयत सम्वत 199 खसरा नम्बर 1095 पुराना, सत्य प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत 2012 से 15, सत्य प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत 2016 खसरा नम्बर 1012 पुराना, सत्य प्रतिलिपि जमांबदी सम्वत 2018 से 31 खसरा नम्बर 1095 पुराना, सत्य प्रतिलिपि जमांबदी सम्वत 2041–44 खसरा नम्बर 1095 पुराना, सत्य प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत 2032 से 33 ग्राम बगड़ खसरा नम्बर 1095 पुराना। हमने वाद पत्र व शपथ पत्र चीफ PW-1 वादी में वर्णित तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन करते हुए बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जमाबंदी सम्वत 2012–15 व 2016 से 20 में गणपतराम के नाम दर्ज रिकार्ड नहीं होना पाया गया है। इस प्रकार गणपतराम काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के समय न तो खातेदार था और ना ही उपकृषक या अन्य किसी रूप में उक्त भूमि पर काबिज था। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीगण अपने वाद को सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः वाद वादीगण सिद्ध नहीं होने पर न्यायालय मत पर खारिज किया जाना उचित एवं न्यायोचित है। अतः

निर्णय

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण सिद्ध नहीं होने पर खारिज किये जाने का निर्णय लिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 25.05.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)
न्यायालय उपखंड अधिकारी,झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारीः– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः– 243/2021

उनवान
शान्ति देवी वगै0 बनाम राजकुमार वगै0

दावा बाबतः– घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती

दिनांकः– 24.05.2022

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार सैनी एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री ओमप्रकाश सैनी उपस्थित। इस वाद में आज दिनांक 24.05.2022 को श्री शैलेश खैरवा, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण सिद्ध नहीं होने पर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा सहित जारी की गई।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	46
स्टाम्प वकालतनामा	46	स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनतनामा वकील	
महनतनामा वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनाम	
बाबत इजराय हुक्मनाम		मुतफरिक	
योग	48		46

उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)